(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/1914 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 143/अपील/2015-16

1-श्री इशाक पिता इस्माईल पटेल (मृत द्वारा वारिसान)
1*मोहम्मद हुसेन पिता स्व0इशाक मोहम्मद
2*जाकिर पटेल पिता स्व0इशाक पटेल
3*नासीर पटेल पिता स्व0इशाक पटेल
4*रेहना बी पति अन्सार पटेल
5*अफसर पिता स्व0इशाक पटेल
6*बिसमिल्ला बी पति स्व0इशाक पटेल
7*बेबी खातुन पिता स्व0इशाक पटेल
2-श्री नासिर पिता इशाक पटेल
3-श्री हुसैन पिता इशाक पटेल
निवासीगण ग्राम जैतपुरा तहसील सांवेर
जिला इंदौर म0प्र0 .....आवेदकपक्ष

विरूद्ध

श्री गनी पिता इस्माईल पटेल
निवासी ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर
जिला इंदौर

.....अनावेदकपक्ष

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदकपक्ष
श्री सचिन भावसार, अभिभाषक, अनावेदकपक्ष

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/19 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम जैतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 76/1 रकबा 0.299 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 105 रकबा 0.429 हेक्टेयर कुल रकबा 0.728 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में सरदार इशहाक, गनि पिता इस्माईल पटेल के नाम से अंकित होकर सर्वे नम्बर 71/3 रकबा 1.165 हेक्टेयर तथा सर्वे नम्बर 80/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर इशहाक मोहम्मद पिता ईस्माईल के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है । उक्त भूमि का बटवारा नामान्तरण पंजी में प्रविष्टि क्रमांक 62 दिनांक 25-2-2009 से तहसीलदार तहसील सांवेर द्वारा किया गया। तहसील न्यायालय के इस आदेश के व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14-12-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-3-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25-2-2009 के विरूद्ध अपील 2015 में प्रस्तुत की गई जबकि अनावेदक को उक्त संबंध में जानकारी पूर्व से प्राप्त है उसके उपरांत भी विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण सरसरी तौर पर करने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र का योग्य निराकरण नहीं करने में त्रुटि की गई है । संबंधित आवेदन पर आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और ना ही उसका योग्य निराकरण किया गया इसलिये अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 के आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 62 आदेश दिनांक 25-2-2009 से दुखी होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बटवारा आदेश

निरस्त किया क्योंकि उक्त पंजी में अन्य भूमि स्वामियों को भी शामिल करते हुये बटवारा कियागया । अन्य भूमिस्वामीयों का उक्त भूमि पर कोई स्वत्व अर्जन नहीं था । राजस्व अभिलेखों में सरदार ईशाक, गनी पिता ईस्माईल पटेल का नाम सर्वे 76/1 एवं 105 कुल रकबा 0.728 हेक्टेयर भूमि जो कि ग्राम जैतपुरा की होकर जिस पर ईशाक व गनी का नाम राजस्व अभिलेखों से कम कर दिया जबकि नियमानुसार 1/3 के अनुसार बटवारा किया जाना आवश्यक था तथा एक अन्य सर्वे नम्बर 71/3 व 80/2 पर अन्य भूमिस्वामी के नाम भूमि कर दी । उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक होने से नामान्तरण पंजी क्रमांक 62 को निरस्त किया । उक्त आदेश विधिक होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण पंजी में किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है ना ही किसी भी पक्ष की जानकारी में बटवारा स्वीकृत कियागया है । उक्त बटवारा बाले-बाले स्वीकृत किया होकर जिसकी जानकारी जैसे अनावेदक को हुई अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक को तहसील न्यायालय द्वारा निर्देशित किया कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 62 की अपील वरिष्ठ न्यायालय में करें तथा जानकारी प्राप्त होने पर अपील की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये बटवारा आदेश निरस्त कर वास्तविक स्वत्व के अनुसार 1/3 के आधार परसमान अंशों में बटवारा स्वीकृत किया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2009 में पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 2014 में चुनौती दी गई । प्रथमदृष्टया अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समय बाधित थी । उन्होंने धारा 5 के आवेदन का उल्लेख भी किया लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया । यदि अपील संहिता की धारा 115-116 के आवेदन के अनुक्रम में थी तो भी प्रतिदिन का विलम्ब मूल आदेश की दिनांक से देखा जाना चाहिये था । न्याय का स्पष्ट सिद्धांत है कि प्रकरण में प्रथमत: समयसीमा पर निर्णय होना चाहिये । इसके बाद ही गुणदोष पर विचार किया जाना चाहिये । गुणदोष के संबंध में भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर एक और भाई सरदार का भी नाम था लेकिन उनको किसी भी स्तर पर नहीं सुना गया, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे । द्वितीय अपीलीय

न्यायालय ने भी इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया । अत: प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14-12-2015 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30-3-2017 निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुन: सभी पक्षों को सुनकर आदेशपारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सॉवेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुन: सभी पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर